D:\ADN\All Letter 2015.docx119

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(26)पोषा / विविध / ICDS / 2014 / जयपुर, दिनांकः

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः–पूरक पोषाहार हेतु आवश्यक खाद्य सामग्री का क्रय "उचित मूल्य की दुकानों" से करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. द्वारा अवगत कराया गया है कि निगम द्वारा बेहतर गुणवत्ता एवं वाजिब कीमत पर "राज ब्रान्ड" नॉन पीडीएस सामग्री यथा चाय, नमक, मसाले आदि वस्तुऐं उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करायी जा रही है। इसके लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं है एवं कोई भी उपभोक्ता इन्हें बिना किसी सीमा के क्रय कर सकता है।

विभाग द्वारा वर्तमान में लाभान्वितों को महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत टेक होम राशन एवं गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः महिला स्वयं सहायता समूहों को उक्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आपके अधीनस्थ समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षको को निर्देशित करावें।

Sd/-
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(26)पोषा / विविध / ICDS / 2014 / 1622-623 जयपुर, दिनांकः 3.7.15
प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., पांचवी मंजिल, किसान भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 329 दिनांक 01.06.2015 के क्रम में।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in